दिनांक 21.03.2015 को श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग–सह–अध्यक्ष, जे0आर0डी0ए0 की अध्यक्षता में आहूत झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के प्रबंध पर्षद की 24वीं बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति:–

1. **श्री सुरेन्द्र सिंह**, प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग–सह–अध्यक्ष, जे0आर0डी0ए0।
2. **श्री कृपानन्द झा**, उपायुक्त, धनबाद सह प्रबंध निदेशक, जे0आर0डी0ए0, धनबाद।
3. **श्री चन्द्र किशोर मण्डल**, उप विकास आयुक्त सह परियोजना निदेशक, जे0आर0डी0ए0, धनबाद।
4. **श्री आशोक कुमार सरकार**, निदेशक तकनिकी (योजना एवं परियोजना) बी0सी0सी0एल0 कोयला भवन, धनबाद।
5. **श्री मनोज कुमार**, अपर समाहर्ता, धनबाद सह सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।
6. **श्री अभिषेक श्रीवास्तव**, अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद सह सदस्य, झरिया पुनर्वास एव विकास प्राधिकार, धनबाद।
7. **श्री ज्ञान विज्ञान प्रभाकर**, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद सह सदस्य, झरिया पुनर्वास एव विकास प्राधिकार, धनबाद।
8. **श्री वी0 के0 सिन्हा**, प्रक्षेत्रीय निदेशक सह सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।

सर्वप्रथम उपायुक्त–सह–प्रबंध निदेशक के द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त का स्वागत किया गया एवं उनसे अनुमति प्राप्त होने पर बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई।

प्रभारी पदाधिकारी (R&R & Estb.), झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के द्वारा एक–एक कर अनुपालन योग्य बिन्दुओं का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका अनुमोदन अध्यक्ष द्वारा किया गया। पूर्व बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई।

I. **झरिया कोलफील्ड के अग्नि एवं भू–स्खलन से प्रभावित खतरनाक स्थलों का समीर–तंत्र (LOGISTIC MODEL) के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार करने एवं बी0सी0सी0एल0 के RECLAIMED भू–भाग पर अस्थाई विस्थापन के संबंध में VULNERABILITY REPORT के संबंध में** :– दिनांक 12.08.2014 को आहूत प्रबंध पर्षद में लिए गये निर्णय के आलोक में बी0सी0सी0एल0 से खतरनाक क्षेत्रों की प्राथमिकता सूची की मांग की गई है। इसी प्रकार HPCC की विगत बैठक में दिये गये निदेश के अनुसार Reclaimed भू–भाग पर अस्थाई विस्थापन के पूर्व Vulnerability report के लिए CIMFR से अनुरोध किया जा चुका है। CIMFR के वैज्ञानिकों से विचार–विमर्श के आधार पर यह बात प्रकाश में आई कि स्थलों की प्राथमिकता सूची तैयार करते समय प्रत्यक्ष आग प्रवाह का एक समीर–तंत्र (Logistic Model) तैयार किया जाना चाहिए। पुनः इस तंत्र से आग का Upstream या Downstream तैयार किया जाय। इस Logistic Model के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार करने में सहायता मिलेगी। यह कार्य एक कुशल वैज्ञानिक समान ही कर सकता है। इस Model से खतरनाक एवं अति खतरनाक क्षेत्रों को अलग–अलग चिन्हित किया जा सकेगा है।

जे0आर0डी0ए0 का प्रस्ताव आया कि बी0सी0सी0एल0 से अनुरोध किया जाय कि वह प्राथमिकता सूची तैयार करने में समीर तंत्र की सहायता लें एवं यदि आवश्यक समझे तो CIMFR के वैज्ञानिकों का परामर्श प्राप्त करें।

डा0 नागेश्वर सहाय, वरीय वैज्ञानिक, CIMFR के द्वारा Power Point Presentation के माध्यम से LOGISTIC MODEL के माध्यम से खतरनाक एवं अति खतरनाक क्षेत्रों को अलग-अलग वर्गीकृत करने के संबंध में प्रदर्शन किया गया। श्री ए0 के0 सरकार, निदेशक तकनिकी (योजना एवं परियोजना) बी0सी0सी0सी0एल0 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि बी0सी0सी0एल0 के द्वारा प्राथमिकता सूची तैयार की जा रही है जो पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके पर आधारित है। इसलिए नये सिरे से इसपर कारेवाई की आवश्यकता नहीं है। इस प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

2. **झरिया मास्टर प्लान में भू-अर्जन के लिए बजट प्राक्कलन :-** प्रभारी पदाधिकारी (R&R & Estb.) ने बतलाया कि झरिया मास्टर प्लान के अन्तर्गत LAND COMPENSATION एवं LAND AQUISITION के लिए दो बजट शीर्ष, यथा - "RESETTLEMENT LAND COST" एवं "LAND COMPENSATION" सृजित है। "RESETTLEMENT LAND COST" में गैर बी0सी0सी0एल0 परिवारों के लिए TOWNSHIP विकसित करने हेतु भू-अर्जन करने के संबंध में कुल 227.84 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान PRIVATE एवं ENCROACHER, दोनों के लिए सम्मिलित रुप से है। मास्टर प्लान के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मास्टर प्लान में भूमि अर्जन के लिए बजट प्रावधान की गणना 18.17 लाख प्रति हैक्टेयर के दर को आधार मान कर की गई है। सूचनानुसार वर्ष 2008 में (गणना वर्ष) में COST INDEX 1600 के बिन्दु पर था। वर्तमान स्थिति इसके ठीक विपरीत है। वर्तमान में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी भूमि के दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और आज का COST INDEX लगभग 3440 के ऊपर है। विगत प्रबंध पर्षद में इस POOR BUDGETING पर चर्चा हुई थी और निर्णय लिया गया था कि भू-अर्जन के लिए स्वच्छ बजट प्राक्कलन तैयार किया जाय।

प्रभारी पदाधिकारी (R&R & Estb.) ने आगे बतलाया कि प्रबंध पर्षद के निर्णय के आलोक में नये LARR Act-13 के मानकों को आधार मानकर कुल 2438.76 एकड़ भू-भाग के अर्जन के लिए बजट तैयार किया गया जिसका अनुमानित बजट प्राक्कलन 5131.81 करोड़ रु0 है। इस राशि में बढ़ोत्तरी की पूर्ण सम्भावना है क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसमें बढ़ोत्तरी सम्भावित है। इस बजट प्राक्कलन के REALISTIC होने के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी ने बतलाया कि यह बजट प्राक्कलन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के साथ बैठकर नये भू-अर्जन ऐक्ट (LARR Act 2013) के प्रावधानों के आलोक में तैयार किया गया है एवं उस पर उनका हस्ताक्षर भी है।

विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय हुआ कि बी0सी0सी0एल0 से सम्पर्क स्थापित करके इस बजट प्राक्कलन को अधिक REALISTIC बनाया जाय।

3. **नए LARR Act 2013 के अन्तर्गत पुराने अर्जनाधीन भू-भाग के लिए स्वच्छ अर्जन प्रस्ताव भेजने के संबंध में-** प्रभारी पदाधिकारी (R&R, Estb. & L.A.) ने सदन को सूचित किया कि मास्टर प्लान के अनुसार जे0आर0डी0ए0 को 2730 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इस संबंध में कुछ प्रस्ताव पूर्व में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद को भेजे गए थे जिसमें से कुछ प्रस्ताव तो मूर्त रुप ले लिए किन्तु कुछ प्रस्ताव कालातीत हो गए और उन्हें अब जिला भू-अर्जन पदाधिकारी धनबाद के आदेश के आलोक में नए LARR Act-2013 के विविध प्रावधानों के अंतर्गत भेजे जाने का प्रस्ताव है। उपायुक्त-सह-प्रबंध निदेशक, जे0आर0डी0ए0 के द्वारा नए LARR Act 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत विविध प्रस्तावों को भेजे जाने का भी निदेश दिया है और साथ ही यह भी निदेश है कि भेजे जाने के पूर्व इन प्रस्तावो पर माननीय प्रबंध पर्षद की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। यद्यपि पूर्व प्रबंध पर्षद में लिए गए निर्णय के आलोक में जे0आर0डी0ए0 द्वारा जिला भू-अर्जन, पदाधिकारी धनबाद से सम्पर्क स्थापित कर 2438.76 एकड़ भूमि के अर्जन में खर्च होने वाली राशि की गणना कर ली गई है तथापि चालू वित्तीय वर्ष (2015-16) में तत्काल 6 (छः) मौजा के कुल 468.60 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव है।

प्रभारी पदाधिकारी (R&R, Estb. & L.A.) ने यह भी स्पष्ट किया कि जे0आर0डी0ए0 का उत्तरदायित्व आग्नि एवं भू-स्खलन से प्रभावित खतरनाक स्थलों के परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने का है इसलिए यह आवश्यक है कि भू-अर्जन का प्रस्ताव सामान्य प्रक्रिया में न भेजकर 'LARR Act 2013 की धारा 40 एवं 40(II) के आलोक में भेजे जाए क्योंकि यहां का कार्य आपात प्रकृति का है। आपात प्रकृति में भेजे जाने से SOCIAL IMPACT ASSESSMENT की प्रक्रिया से छुटकारा मिल जायेगा।

इस प्रक्रिया को आपनाने में लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत हो सकता है। इस प्रकार जिन निम्नलिखित 6 मौजा के भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है उसके लिए आपात प्रक्रिया अपनाए जाने में लगभग 17568799236.00 रू0 खर्च होने की सम्भावना है जबकि सामान्य प्रक्रिया में 10039313847.00 रू0 खर्च होगा। अंतर की राशि 7529485389.00 रू0 है। उल्लेखनीय है कि HPCC ने अपने दिनांक 26.08.2014 की बैठक में राज्य सरकार को परामर्श दिया था कि जे0आर0डी0ए0 के मामले में राज्य सरकार विशेषानुमति (DISPENSATION) स्वीकृत करने की कृपा करें। कहने की आवश्यकता नही है कि झारखण्ड सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू–अर्जन निदेशालय) राँची ने अपने पत्रांक 411 / नि0स0 दिनांक 22.12.2014 द्वारा उपायुक्त, धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक, जे0आर0डी0ए0 को भू–अर्जन के मामले के लिए LARR Act 2013 की धारा–40 एवं 40(II) का दृष्टिपथ रखते हुए धारा 11 एवं 19 के तहत कार्रवाई करने के साथ ही धारा 23 एवं 26 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया है। इस प्रकार प्रभारी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित किया गया कि निम्नलिखित छः मौजा के भू–भाग सहित भविष्य में जे0आर0डी0ए0 के द्वारा अर्जित होने वाले सभी भू–अर्जन के प्रस्ताव को LARR Act 2013 की धारा 40 एवं 40(II) के अन्तर्गत भेजे जाने के संबंध में HPCC से अनुमति मांगी जाए क्योंकि आपातकालीन प्रक्रिया के अपनाए जाने पर अत्याधिक (सामान्य प्रक्रिया की सम्पूर्ण राशि का 75%) राशि के खर्च होने की सम्भावना है–

क0	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना नं0	प्रस्तावित रकवा (एकड़ में)	अनुमानित राशि (आपात प्रकिया)	अनुमानित राशि (साधारण प्रकिया)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	6	7
1	बलियापुर	आमागढ़ा	39	39.57	395231491.20	225846566.00	
		ढोखरा	42	114.44	8941590873.60	5109480499.00	
2	बाघमारा	तिलाटांड	213	57.58	6250822152.96	3571898373.00	
		गंडुबा	231	106.06	952578314.24	544330465.00	
3	तोपचाँची	मोहनपुर	128	88.53	557897645.76	318798654.00	
		खरियो	125	62.42	470678759.04	268959290.00	
Total :				**468.60**	**17568799236.8**	**10039313847.00**	

इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी–सह–सदस्य, जे0आर0डी0ए0 प्रभारी पदाधिकारी (R&R, Estb. & L.A.) के द्वारा वर्णित तथ्यों से सहमत हुए। चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि जे0आर0डी0ए0 के कार्य की प्रकृति आपात प्रकृति का है इसलिए इसके भू–अर्जन के प्रस्ताव को आपातकालीन प्रकिया में भेजे जाने में कोई आपत्ति नही होनी चाहिए। अतः प्रबंध पर्षद द्वारा निर्णय लिया गया कि जे0आर0डी0ए0 के सभी प्रस्ताव (वर्तमान प्रस्ताव सहित) नए LARR Act 2013 की धारा–40 एवं 40(II) के अन्तर्गत भेजा जाय लेकिन भेजे जाने के पूर्व HPCC से अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

4. <u>बेलगड़िया **TOWNSHIP** के बिजली बिपत्रों के भुगतान के संबंध में</u> :–

प्रभारी पदाधिकारी (R&R & Estb.) द्वारा सूचना दी गई की दिनांक 25.04.2012 के प्रबंध पर्षद में लिए गए निर्णय के आलोक में विद्युत विपत्रों का भुगतान किया जा रहा है और सभी घरों में विद्युत मीटर लगाकर विद्युतशुल्क वसूली की कार्रवाई चल रही है। मास्टर प्लान में विद्युत विपत्र के भुगतान के संबंध में उल्लेख है कि "However, the running cost of all the facilities, i.e. water supply, power supply, schools, dispensary etc. shall not be the part of compensation package and will have to be looked after by the Pachayat and other bodies of the State Government." प्रभारी पदाधिकारी का अनुरोध हुआ कि विद्युत शुल्क वसूलने की नयी प्रकिया के फलाफल की प्रतीक्षा करते हुए बेलगड़िया के विद्युत शुल्क को अगले छः माह तक जमा करने में स्वीकृति प्रदान की जाए।

इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के क्रम में सदस्यों का विचार आया कि MASTER PLAN में जे0आर0डी0ए0 को विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु अधिकार नही दिया गया है इसलिए इन विपत्रों के भुगतान के संबंध में सहमति प्रदान नही की जा सकती है।

5. **मास्टर प्लान में चिन्हित स्थलों का FINAL SURVEY कराने के संबंध में प्रबंध पर्षद की स्वीकृतिः–** प्रभारी पदा0 (R&R, Estb. & L.A.) ने माननीय सदस्यों को जानकारी दी कि झरिया कोलफिल्ड के अग्नि एवं भू–स्खलन से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर आवासित करने के उद्देश्य से गठित मास्टर प्लान के अनुसार 54159 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना है। ये प्रभावित परिवार 595 विभिन्न स्थलों पर बिखरे पड़े है। सर्वेक्षण कार्य के लिए पूर्व में 2 सरकारी संस्थान, यथा–सिंफर एवं आई0एस0एम0 को अनुबंधित किया गया था लेकिन कार्य की गति धीमी होने एवं बीच में एकाएक उनके द्वारा कार्य बंद कर देने के कारण M/S WHIZ MANTRA EDUCATIONAL SOLUTION PVT. LTD. को अनुबंधित किया गया और उन्हे विभिन्न चरणों में दिसम्बर 2014 तक का समय दिया गया। इस सर्वे AGENCY का चयन TENDER के माध्यम से हुआ था और इनके जिम्मे 19550 परिवारों का सर्वेक्षण कराने का लक्ष्य रखा गया था। उपर्युक्त संस्थान दिसम्बर 2014 तक कुल 48512 परिवारों का सर्वेक्षण कर चुका है। इस प्रकार दिसम्बर 2014 तक कुल मिलाकर 84497 परिवारों का सर्वेक्षण कार्य हो चुका है। सर्वेक्षण कार्य के अनुभव को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि सभी स्थलों का अंतिम सर्वे करा कर सर्वे कार्य को विधिवत बंद कर दिया जाए। इसके लिए समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना दी जा रही है एवं कम से कम 15 दिनों का समय दिया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी तक बी0सी0सी0एल0 के बरोरा क्षेत्र एवं ब्लॉक–2 क्षेत्र का अंतिम सर्वेक्षण कराकर सर्वेक्षण कार्य बंद कर दिया गया है। सम्प्रति बस्ताकोला क्षेत्र का सर्वे कार्य जारी है।

प्रस्ताव है कि पूर्व अनुबंधित दर (कुल रू0 213 प्रति HOUSEHOLD फोटो वितरण सहित) पर सर्वेक्षण कार्य के लिए अनुमति प्राप्त सर्वे एजेंसी M/s WHIZ MANTRA EDUCATIONAL SOLUTION PVT. LTD. से कराया जाय। इनका कार्य संतोषप्रद रहा है। ऐसा करने से समय की बचत होगी एवं सर्वे के लागत खर्च में बढ़ोत्तरी भी नही होगी। अंतिम सर्वे होने वाले परिवारों की कुल अतिरिक्त संख्या लगभग तीस–चालीस हजार सम्भावित है जिसका स्थलवार सूचना दिया जाना सम्भव नही है। इसका सम्भावित व्यय लगभग 85 लाख (पचासी लाख) हो सकता है। उनके द्वारा सर्वे कार्यो को पूर्ण करने हेतु अनुकूल अवधि का विस्तार के लिए अनुरोध किया गया।

इस संबंध में विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि M/s WHIZ MANTRA EDUCATIONAL SOLUTION PVT. LTD. दिनांक 30.06.15 तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर दे।

6. **अग्नि प्रभावित एवं भू–धसान स्थलों के लिए CUT OFF DATE निर्धारित करने के संबंध मेंः–** प्रभारी पदा0 (R&R, Estb. & L.A.) के द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई की भू धसान क्षेत्रों में अभी भी अतिक्रमण हो रहा है। गैर बी0सी0सी0एल0 परिवारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। इसकी रोकथाम होनी चाहिए। सर्वे से संबंधित आकड़ा लगभग एक लाख से उपर जा सकता है। प्रभारी पदाधिकारी ने यह भी बतलाया कि अब FINAL ROUND OF SURVEY चल रहा है। इसके लिए समाचार पत्रों के माध्यम से लोगो को जानकारी दी जा रही है कि सर्वे के बाद पुनः सर्वे नही हो सकेगा। विचार–विमर्श के समय उपायुक्त धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक, जे0आर0डी0ए0 द्वारा गहरी चिन्ता व्यक्त की गई के झरिया कोलफिल्ड के अग्नि एवं भू–स्खलन से प्रभावित परिवारों के सर्वेक्षण कार्य के लिए CUT OFF DATE का निर्धारण नही होना उचित नही है एवं इस संबंध में एक CUT OFF DATE निर्धारित करने की आवश्यकता है।

गहन विचार–विमर्श के उपरान्त प्रभारी पदाधिकारी ने सुझाव दिया कि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 22020/1/2015 CRC, दिनांक 12.08.2009 द्वारा मास्टर प्लान की स्वीकृति की गई है। इस तिथि को (दिनांक 12.08.2009) CUT OFF DATE की मान्यता दी जा सकती है।

विचार–विमर्श के उपरान्त दिनांक 12.08.2009 को CUT OFF DATE निर्धारित किया गया।

7. **मेसर्स HINDUSTAN STEELWORK CONSTRUCTION LTD पर लगाये गये दण्ड पर पुनर्विचार करने के संबंध मे**
दिनांक 13.07.2013 को आहूत बैठक में प्रबंध पर्षद ने निर्णय लेने की कृपा की थी कि पूर्व में किये गये कार्यो को FINAL किया जाय एवं EXTENSION के MERIT को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो 10% दण्ड लगाया जा सकता है तथा M/s HSCL के FINAL विपत्र को 15 दिनों में निष्पादन किया जाय। प्रबंध पर्षद के आदेशानुसार 10% की दण्ड राशि को KEEP BACK रखते हुए भुगतान की सभी कार्रवाई कर दी गई है किन्तु

M/S HSCL अपना भुगतान लेने से इन्कार कर दिया है एवं अनुरोध किया कि उनके उपर लगाये गये दण्ड को निरस्त किया जाय। कार्य के विलम्ब का उनके द्वारा विभिन्न कारण बतलाये गये है। सभी कारण तकनिकी प्रकृति के हे इसलिए यह उचित प्रतीत होता है कि इन कारणों की जाँच एवं अनुशंसा के लिए एक समिति गठित की जाय। इस समिति में श्री अमरेन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, श्री संतोष कुमार, सहायक प्रबंधक (असैनिक), एवं श्री एस0पी0सिंह, सहायक अभियंता सम्मिलित रहें। समिति के अनुशंसा के बाद अर्थ–दण्ड के विषय में अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

इस संबंध में मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने बतलाया कि ज0आर0डी0ए0 द्वारा DEVELOPMENT WORK OF 900 UNITS VISTHAPIT AWAS के कार्य हेतु M/S HSCL (GOVT OF INDIA U/T) को अनुबंधित किया गया था। यह एक पुराना कार्य है जिसे कार्यादेश संख्या 135 दिनांक 24.06.2006 के तहत प्रदान किया गया था। दिनांक 13.07.2013 को प्रबंध पर्षद की बैठक के आलोक में इस पुराने कार्य को 10% विलम्ब हेतु दण्ड लगा कर FINAL करने का प्रस्ताव स्वीकृत था। परन्तु M/S HSCL इस कार्य में बिलम्ब हेतु 10% दण्ड की कटौती के लिये राजी नहीं है और उनके द्वारा बिलम्ब दण्ड के पुनर्विचार हेतु REPRESENTATION दिया गया है।

इस बैठक में श्री के0 के0 गंगोपाध्याय, Incharge (Project), HSCL के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए विलम्ब के लिए M/S HSCL को पूर्णतः जिम्मेवार नहीं बताते हुए लगाये दण्ड पर पुनर्विचार का अनुरोध किया।

इस संबंध में विमर्श से यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह मामला बहुत पुराना है एवं इसकी प्रकृति तकनिकी है। इस संबंध में एक समिति गठित करके अनुशंसा प्राप्त करने हेतु उपायुक्त–सह–प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया। इस अनुशंसा पर अगली बैठक में चर्चा की जायेगी।

8. **झरिया विहार कोलोनी बेलगड़िया में स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु प्राक्कलन की स्वीकृति –**

प्रभारी पदा0 (R&R, Estb. & L.A.) ने बतलाया कि झरिया विहार कालोनी में वर्तमान में निम्न आधारभूत सुविधाएं है :–

1. 2352 विस्थापित आवास पूर्णतः आवंटित।
2. 2000 विस्थापित आवास- निर्माणाधीन इसमें लगभग 1000 आवास पूर्णता की ओर है।

3. मंदिर	पूर्णता की ओर
4. मस्जिद	पूर्णता की ओर
5. शपिंग सेंटर	पूर्णता की ओर
6. बैंक	पूर्णता की ओर
7 हाई स्कूल भवन	पूर्णता की ओर

बेलगड़िया कॉलोनी की शहर से दूरी एवं वहाँ की आबादी को देखते हुए तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र की गहती आवश्यकता है। इस संबंध में झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत Model Health Sub Centre प्रस्तावित है। इस हेतु UPDATED प्राक्कलित लागत ₹ 32,45,924.43 जो कि JSOR 2014 पर आधारित है।

मुख्य प्रबंधक (असैनिक) द्वारा बतलाया गया कि मास्टर प्लान में विस्थापितों के लिए विकसित टाउनशिप में स्वास्थ्य केन्द्र का प्रावधान है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 12.06.2009 के प्रबंध पर्षद की बैठक में अस्पताल, पार्क, खेल मैदान, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, बैंक और पोस्ट आफिस की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। इधर बेलगड़िया में कुछ बच्चों की चिकित्सा के अभाव में मृत्यु होने की सूचना मिली है जिसके कारण बेलगड़ियावासियों में ज0आर0डी0ए0 के प्रति आक्रोश की भावना पनप रही है। इसी सिलसिले में झारखण्ड सरकार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा चिकित्सा, शिक्षा विभाग के द्वारा स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्र के मॉडल के आधार पर बेलगड़िया में एक स्वास्थ्य केन्द्र प्रस्तावित किया गया जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 14,32,100.00 थी जो पुरानी दर सूची पर आधारित थी

जिसे वर्ष 2007 में बनाया गया था। लेकिन बाद में जाँच के उपरान्त पाया गया कि यह राशि नये दर REVISION के अनुसार अब ₹ 32,45,924.00 हो गई है और यह दर JSOR 2014 पर आधारित है।

इस संबंध में विचारों का आदान-प्रदान हुआ। मास्टर प्लान में स्वास्थ्य उप केन्द्र के संचालन में जे0आर0डी0ए0 की कोई भूमिका नही दी गई है इसलिए इस मद में खर्च करना उचित नही होगा। प्रबंध पर्षद का परामर्श आया कि तत्काल CIVIL SURGEON से बेलगड़िया वासियों के चिकित्सा के लिए व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया जाय। यदि आवश्यक समझा जाय तो existing Health Centre (बेलगड़िया के निकट) को संबंधित कर दिया जाय। यदि तब भी कोई ठोस उपाय नही होता है तो अगली बैठक में ठोस प्रस्ताव लाया जाय।

9. **DEVELOPMENT WORK ZONE – A झरिया बिहार बेलगड़िया के चल रहे निर्माण कार्य हेतु कार्य आवंटन संपुष्टि हेतु:–** उपरोक्त कार्य की आवश्यकता एवं पूर्णता को और अग्रसर Zone A के विस्थापित आवासों के DEVELOPMENT WORK को देखते हुए L-1 Tender M/s NDC & NECCPL (JV) को यह कार्य 5.10% BELOW ESTIMATED COST OF WORK i.e. रू0 6,04,40,804.00 पर OPEN TENDER द्वारा उपायुक्त-सह-प्रबंध निदेशक, जे0आर0डी0ए0 के अनुमोदन से आवंटित किया गया है और यह कार्य प्रगति पर है। यह प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। मुख्य प्रबंधक (असैनिक) द्वारा बताया गया कि यह कार्य E-TENDERING द्वारा L-1 BIDDER M/S NDC & NECCPL(JV) को उपायुक्त सह प्रबंध निदेशक, जे0आर0डी0ए0 के दिनांक 02.01.2015 के अनुमोदन से आवंटित किया गया है और यह कार्य प्रगति पर है। इस AWARDED WORK में 960 विस्थापित आवास हेतु External Development Works जैसे मार्ग, नाली, सेप्टिक टैंक, जल प्रदाय व्यवस्था हेतु Borewell, चापाकल, पाईपलाईन, पंप रूम मोटर पंप, विद्युत खम्भे, LT Line, Overhead Tank इत्यादि का कार्य समाहित है जो कि M/s Indu Project Ltd. द्वारा बनाये जा रहे विस्थापित आवासों के Handing Over हेतु आवश्यक है। इस कार्य के होने पर ही निर्माणाधीन विस्थापित आवासो को प्रस्तावित आवंटन सम्भव है।

प्रबंध पर्षद द्वारा इस पर संपुष्टि प्रदान की गई।

10. मौजा लिपनियाँ में 2000 विस्थापित आवास के निर्माण कार्य हेतु खुली निविदा के आधार पर कार्य **(PRICE JUSTIFICATION/NEGOTIATIONS)** आवंटन :-

सक्षम अनुमोदन के पश्चात् लिपनियाँ में 2000 विस्थापित आवास के निर्माण कार्य हेतु e-tendering किया गया था जिसकी Estimated Cost 84,04,68,031.90 है। उसमें 3 (तीन) एजेंसी ने भाग लिया जिनकी स्थिति निम्नप्रकार है:-

SN	Name of Bidder	Quoted %age above Etaimated cost	Status of Bidder
1.	हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कन्सट्रक्शन लि0, बोकारो।	₹ 14.99 %	L-1
2.	कमला कन्शट्रकशन प्रा0 लि0।	₹ 15.96 %	L-2
3.	मेसर्स सुप्रीम ईन्फ्रास्ट्रक्चर, मुम्बई।	₹ 16.59%	L-3

निविदा समिति के अनुशंसा के अनुसार NEGOTIATION एवं PRICE JUSTIFICATION की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में प्रबंध पर्षद आगे की कार्यवाही हेतु निदेशित कर सकती है ताकि कार्य आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

इस संबंध में L-1 Bidder M/s HSCL (Govt. of India U/T) की ओर से उनके HEAD (PROJECT) ने अपने द्वारा quoted rate का Justification प्रस्तुत किया। इस संबंध में सरकार के दिनांक 11 जुलाई 1986 के संकल्प के आलोक में यह बताया गया कि चालू अनुसूचित दर पर आधारित BOQ की राशि से

मात्र 10% अधिकतम दर ही मान्य होगी। बोर्ड ने L-1 द्वारा QUOTED RATE PERMISSIBLE LIMIT से अधिक होने के कारण निविदा रदद् कर पुनः स्वच्छ निविदा की प्रक्रिया आरम्भ करने का निर्णय लिया।

11. **<u>बेलगड़िया झरिया बिहार में निर्मित मार्केट कमप्लैक्स का FINAL EXTENSION OF COMPLETION TIME और REVISED ESTIMATE का अनुमोदन</u>** :– मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने बतलाया कि बेलगड़िया निर्मित मार्केट काम्पलैक्स का कार्य बहुत पूर्व में समाप्त हो चुका था परन्तु दुकानों का आवंटन नही होने के कारण इसका FINAL कार्य/FINISHING कार्य को पूरा करने से संवेदक के कार्य को रोका गया था। सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक था। दुकानों के आवंटन की सूचना समिति द्वारा जारी की गई किन्तु चुँकि आवेदकों की संख्या अधिक होने के कारण लाट्री के माध्यम से आवंटन कार्य पूरा किया गया है। इस बीच संवेदक द्वारा कार्य FINALISATION के लिए लगातार प्रार्थना की जाती रही है। अतः मार्केट काम्पलैक्स के कार्य को 31 मार्च 2015 तक FINAL EXTENSION देकर FINALISE किये जाने की आवश्यकता है। इस कार्य बिलम्ब संवेदक की ओर से नही हुआ है बल्कि प्रशासनिक कारण है।

चुँकि मार्केट काम्पलैक्स का आवंटन लॉटरी पद्धति से पूरी हो चुकी है और Handing over इसी कारणों से बिलम्बित है अतः बिना किसी PENALTY के कार्य के FINALISATION की स्वीकृति देने पर विचार–विमर्श हुआ। विचारोपरान्त बिना PENALTY के कार्य को FINALISE कराने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

12. **<u>झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार कार्यालय में अतिरिक्त निर्माण के ANNEXE EXTENSION हेतु अनुमतिः–</u>**

झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के वर्तमान कार्यबल के लिए वर्तमान भवन पर्याप्त है किन्तु भविष्य में इसके कार्यबल में वृद्धि होने की स्थिति में वर्तमान ACCOMADATION बहुत कम पड़ जायेगा। उच्चस्तरीय बैठको में लिए गये निर्णय के आलोक में 13 कर्मियों का नियुक्ति का प्रस्ताव विचाराधीन है। यदि ये नियुक्ति हो जाती है तो वर्तमान ACCOMADATION कम पड़ जायेगा।

अतः इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। चुँकि जे0आर0डी0ए0 का कार्यालय MADA के भवन में किराये पर है और वर्तमान की आवश्यकता के लिए पूर्ण है अतः भविष्य में आवश्यकता होने पर इस बिन्दु पर विचार किया जायेगा।

13. **<u>बेलगड़िया में बची हुई भूमि में 2000 विस्थापित आवासों के निर्माण हेतु प्राक्कलन व निविदा आमंत्रण की अनुमति</u>** :–

मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने बतलाया कि वर्तमान में बेलगड़िया में जिस स्थल पर (49.93 एकड़) 2000 विस्थापित आवास का कार्य चल रहा है। उसके पूर्ण होने के बाद भी अवशेष बचे भू–भाग पर 2000 विस्थापित आवासों का निर्माण कार्य हो सकता है। अतः इस हेतु अनुमोदन की आवश्यकता है। इस संबंध में डी0पी0आर0 प्राक्कलन बना लिया गया है। यह डीपीआर STANDERED APPROVED DRAWING व UPDATED JSOR 2014 पर आधारित है। वित्तीय जाँच हो चुकी है। कुल प्राक्कलित लागत है रू0 84,23,04,658.00 ।

इस संबंध में बोर्ड द्वारा झारखण्ड सरकार, भवन निर्माण विभाग के वर्तमान सिद्धान्तों के आलोक में Standard Bid Document को आधार मानकर e-tendering के माध्यम से निविदा हेतु अनुमति प्रदान की गई।

14. **<u>उच्च विद्यालय भवन बेलगड़िया झरिया विहार के DEVELOPMENT WORKS के प्राक्कलन की स्वीकृतिः–</u>**

मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने सूचित किया कि झरिया विहार, बेलगड़िया में निर्माणाधीन उच्च विद्यालय भवन का कार्य समाप्ति के निकट है। मास्टर प्लान के प्रावधानानुसार इस भवन को स्थानीय निकाय या संस्था द्वारा संचालित करना है। भवन के इस कार्य में DEVELOPMENT WORKS भाामिल नही था। अतः JSOR 2014 पर आधारित एक प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसमें स्कूल के चारों ओर चहार दिवारी, गेट, साइकिल भोड, पार्किग PAVEMENT इत्यादि समाहित है। हाई स्कूल भवन की सुरक्षा व छात्रों की सुरक्षा हेतु यह कार्य प्रस्तावित है। प्राक्कलित लागत रू 6162781.13 (इकसठ लाख बासठ हजार सात सौ इकासी एवं पैसा तेरह) है

जो कि JSOR 2014 पर आधारित है। प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् निविदा संबंधी कार्यवाही को आगे बढ़ाया जायेगा। सहमति अपेक्षित है।

इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। सदस्यों का विचार आया कि जब तक विद्यालय की संस्थागत आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती है या पठन-पाठन कार्य यहाँ शुरु नहीं हो जाता है तब तक यहाँ के Developmnent कार्य में राशि खर्च करना निरर्थक होगा। अतः सर्वप्रथम विद्यालय की संस्थागत आवश्यकता पूरी की जाय एवं पठन- पाठन आरम्भ कराया जाय। इसके बाद इस बिन्दु पर निर्णय लिया जा सकता है।

15. **2000 विस्थापित आवास निर्माण के M/S INDU PROJECT LTD. को आवंटित कार्य हेतु EXTENSION OF COMPLETION TIME की स्वीकृति** :

मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने बतलाया कि वर्तमान में M/s Indu Project के 2000 विस्थापित आवास के निर्माण का कार्य आवंटित है और यह निर्माण कुल 49.93 एकड़ पर प्रस्तावित है। कार्य आरम्भ होते ही कार्यस्थल पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी। ग्रामीणों द्वारा नियोजन की माँग को लेकर हिंसा का रास्ता अपनाया गया। कार्य में सुगमता एवं तेजी लाने के उद्देश्य से उपायुक्त की अध्यक्षता में आहूत बैठक (दिनांक 09.11.2012) में इसे पूरे भू-भाग (49.93 एकड़) को 4 Zone A,B,C एवं D में बांटा गया एवं कार्य आरम्भ करने का प्रयास किया गया किन्तु इससे कोई उत्साहवर्द्धक प्रगति नहीं हुई। कार्य में बाधा पड़ता गया। ग्रामीण हिंसक होते गये। दिनांक 28.11.2012 को पुनः आरक्षी बल की उपस्थिति में कार्य आरम्भ कराया गया किन्तु तब भी उग्र प्रदर्शनकारियों के समक्ष कार्य आरम्भ नहीं हो सका। दिनांक 07.12.2012 को उपायुक्त की अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ बैठक हुई एवं निर्णय हुआ कि Zone-A क्षेत्र में कार्य आरम्भ किया जाये। बाद में सनैः-सनैः प्रगति शुरु हुई। इस संबंध में भारी पुलिस बल की उपस्थिति में दिनांक 18.02.2013, दिनांक 09.04.2013, दिनांक 18.06.2013 से दिनांक 21.06.2013, दिनांक 28.06.2013 से दिनांक 30.06.2013, दिनांक 16.07.2013 से दिनांक 17.07.2013, दिनांक 25.09.2013 से दिनांक 27.09.2013 इत्यादि तिथियों को कार्य आरम्भ कराया गया किन्तु आंशिक सफलता मिली। Zone A क्षेत्र का Actual possession दिनांक 18.02.2013 को संवेदक को दिया गया था जहाँ कार्य पूर्णता की ओर है । पुलिस बंदोबस्त व प्रशासनिक पहल के पश्चात् यह Zone-B का भू-भाग दिनांक 10.02.15 के पश्चात ही संवेदक को उपलब्ध कराया जा सका। पूर्व में विभिन्न चरणों में हुए व्यवधान का विवरण HINDRANCE REGISTER में दर्ज है। अनुबंध के अनुसार यह कार्य 17.02.15 को सम्पन्न हो जाना चाहिए था। परंतु भूमि की अनुलब्धता व व्यवधानों के कारण यह कार्य अभी भी प्रगति पर है। व्यवधान हेतु संवेदक को जिम्मेवार नहीं पाया गया है। M/S INDU PROJECT ने कार्य की समाप्ति की अवधि की अनिश्चितता को देखते हुए अपने BILL द्वारा काटी गई RETENTION MONEY को RELEASE कर EQUIVALENT BG SUBMISSION की अनुमति का आवेदन दिया है एवं दो वर्षों का समयावधि विस्तार का अनुरोध किया।

इस संबंध में विस्तृत चर्चा के क्रम में पाया गया कि कार्य में विलम्ब का मुख्य कारण प्रशासनिक एवं भूमि अनुलब्धता है। इसमें संवेदक की कोई गलती नहीं है। अतः दो वर्ष की समयावधि का विस्तार स्वीकृत किया गया और इनके बिल से काटी गई RETENTION MONEY के समतुल्य राशि B.G. के रूप में जे0आर0डी0ए0 में SECURITY के रूप में जमा करने की स्वीकृति दी गई।

16. **धनबाद–सिन्दरी हीरक रिंग रोड (मिसिंग लिंक)** :– मुख्य प्रबंधक (असैनिक) ने बतलाया कि RITES Ltd द्वारा प्रस्तावित मिसिंग लिंक का डीपीआर, जे0आर0डी0ए0 द्वारा बनवाया गया था। मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची के ज्ञापांक क्र0 1311 द्वारा 09.10.2014 तकनीकि स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पथ की प्राक्कलित राशि 41,41,06,000.00 है। इस पथ के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता है। साथ ही यह कार्य जे0आर0डी0ए0 द्वारा करना है या पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है यह निर्णय भी लिया जाना है।

विचारों के आदान–प्रदान में पाया गया कि यह कार्य MASTER PLAN में SPECIFICALLY MENTIONED नहीं है और इसके समानान्तर एक अन्य सड़क भी मौजूद है इसलिए इस सड़क की आवश्यकता तुरंत प्रतीत नहीं होती है।

17. **जोड़ाफाटक से धोखरा तक पहुँच पथ** :- मुख्य प्रबंधक (आरोनिक) ने बतलाया कि RITES Ltd द्वारा प्रस्तावित रिंग रोड धोखरा से जोड़ाफाटक तक का डी०पी०आर०, जे०आर०डी०आर० द्वारा बनवाया गया है। मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक 1254 दिनांक 23/9114 के द्वारा इस पर तकनिकी स्वीकृति प्राप्त है। इस पथ की प्राक्कलित राशि रू० 17,47,27,600.00 है। चूँकि इस पथ का अधिकतर हिस्सा जे०आर०डी०ए० द्वारा अर्जित किया गया है इसलिए इस पथ का निर्माण कार्य जे०आर०डी०ए० द्वारा सम्पादित होना चाहिए। प्रभारी पदाधिकारी (R&R & Estb.) द्वारा इस संबंध में बताया गया कि इस पथ निर्माण का मुख्य उद्देश्य COAL BEARING क्षेत्र के उत्खनन के पश्चात उस क्षेत्र के कोयला को वैकल्पिक रास्ते से ट्रांसपोर्टिंग कराना है। उन्होंने आगे बताया कि जो सड़क निर्माण का काम प्रस्तावित है वह बरताकोला क्षेत्र के दावारी, बेरा और चौंदमारी कोलियरी के निकट से गुजरेगी और इन कोलियरियों में उत्खनन के बाद इस प्रस्तावित रास्ते का प्रयोग करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण जे०आर०डी०ए० द्वारा किया गया है और इसमें 76–77 करोड़ का भुगतान रैयतों को किया गया है। इस सड़क के बन जाने से धनबाद शहर से गुजरने वाली छोटी–बड़ी वाहनों की Floating संख्या में भी कमी आयेगी।

इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श हुई। प्रबंध पर्षद का परामर्श हुआ कि इस संबंध में बी०सी०सी०एल० से भी अनुशंसा प्राप्त कर ली जाय एवं अगले प्रबंध पर्षद की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाय।

18. **श्री गोपाल जी, प्रभारी पदाधिकारी (R&R & Estb. L.A.) जे.आर.डी.ए. के अनुबंध अवधि का विस्तार** :–
श्री गोपाल जी, प्रभारी पदाधिकारी (आर० एण्ड आर०/स्था० एवं भू अर्जन) की अनुबंध अवधि दिनांक 01.07.2015 को समाप्त हो रही है। अंतिम अवधि विस्तार प्रबंध पर्षद के दिनांक 13.01.2014 की बैठक में स्वीकृत हुआ था। ये स्वस्थ और कार्य करने में दक्ष है। जे.आर.डी.ए. के कई महत्वपूर्ण प्रकोष्ट के प्रभारी पदाधिकारी भी है। इनके अनुभव और कार्यो की यहाँ आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।

महत्वपूर्ण प्रकोष्टों के प्रभारी एवं अनुभवी प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते इनकी सेवाओं की आवश्यकता देखते हुए प्रबंध पर्षद द्वारा इन्हें दिनांक 02.07.2015 से दिनांक 01.07.2016 तक (एक वर्ष) अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई।

19. **श्री एस०एन० सिंह, लेखापाल, जे0आर0डी0ए0 की अनुबंध अवधि का विस्तार** :–
श्री एस०एन० सिंह, लेखापाल की अनुबंध अवधि दिनांक 14.04.2015 को समाप्त हो रही है। जे.आर.डी.ए. के कार्यो में उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए एक अनुभवी लेखापाल की आवश्यकता है। श्री एस०एन० सिंह, महालेखाकार कार्यालय के सेवानिवृत लेखा पदाधिकारी है और उन्हें लेखा कार्यो की पूरी जानकारी है।

जे0आर0डी0ए0 में अनुभवी कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए प्रबंध पर्षद द्वारा इन्हें दिनांक 15.04.2015 से दिनांक 04.04.2016 तक (एक वर्ष) अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई।

20. **श्री मनोज कुमार 'रवि', अमीन, जे0आर0डी0ए0 के अनुबंध अवधि के विस्तार** :– श्री मनोज कुमार 'रवि' की नियुक्ति एक वर्ष के अनुबंध पर हुई है जो दिनांक 07.03.2015 को समाप्त हो रही है। चूँकी जे.आर.डी.ए. में तत्काल एक ही अमीन (श्री मनोज कुमार रवि) ही है और यहाँ भू अर्जन के कार्रवाई चल रही है इसलिए इनकी सेवाओं की आवश्यकता बनी हुई है। कार्यहित में पुनः इन्हें दिनांक 08.03.2015 से दिनांक 07.03.2016 तक (एक वर्ष) अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई।

21. **श्री अनिर्वाण कर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, जे0आर0डी0ए0 के अनुबन्ध अवधि के विस्तार** :- श्री अनिर्वाण कर की नियुक्ति एक वर्ष के अनुबन्ध पर हुई है जो दिनांक 24.02.2015 को समाप्त हो रही है। ये अपने कार्यो के प्रति सजग एवं सचेष्ट है। इनके पद की आवश्यकता को देखते हुए इन्हें पुनः एक वर्ष की अनुबंध विस्तार (विस्तारित अवधि दिनांक 25.02.2015 से 24.02.2016 तक) की स्वीकृति प्रदान की गई।

22. **श्री दिनेश कुमार प्रमाणिक, प्रारूपक, जे0आर0डी0ए0 के अनुबंध अवधि के विस्तार** :- श्री दिनेश कुमार प्रमाणिक की नियुक्ति एक वर्ष के अनुबंध पर हुई है जो दिनांक 21.04.2015 को समाप्त हो रहीं है। इनके सेवाओं की आवश्यकता बनी हुई है ।

प्रबंध पर्षद द्वारा इन्हें दिनांक 22.04.2015 से दिनांक 21.04.2016 तक (एक वर्ष) अवधि विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई।

23. **मो0 आजाद हुसैन, फोरमैन, जे0आर0डी0ए0 के अनुबंध अवधि के विस्तार** :- मो0 आजाद हुसैन, फोरमैन की नियुक्ति एक वर्ष के अनुबंध पर हुई है जो दिनांक 05.02.2015 को समाप्त हो रहीं है। इनकी सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए इन्हें पुनः एक वर्ष की अनुबंध विस्तार की स्वीकृति प्रबंध पर्षद (दिनांक 06.02.2015 से 05.02.2016 तक) द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई।

अन्यान्य

1 **वर्ष 2015--16 के बजट प्राक्कलन की स्वीकृति** :- झारखण्ड पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015--16 के लिए कुल ₹ 1,92,947.14 लाख का बजट प्राक्कलन तैयार किया गया है जिस पर विस्तृत चर्चा हुई। अध्यक्ष के द्वारा बजट को REALISTIC बनाने पर जोर दिया गया जिस पर प्रभारी पदाधिकारी(R&R, Estb & L.A.) तथा मुख्य प्रबंधक (वित्त) के द्वारा स्पष्ट किया गया कि सभी अनिवार्य आवश्यकताओं एवं सरकार के अद्यतन दिशा निर्देश का ध्यान में रखकर के ही बजट प्राक्कलन तैयार किया गया है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि को LARR ACT 13 के मानदण्डों के आधार पर तैयार किया गया है एवं इसकी प्रस्तावित राशि ₹ 1,75,687.99 लाख है। विकास कार्यों की प्राक्कलन झारखण्ड सरकार के अद्यतन SCHEDULE दर मानकर तैयार किया गया है। प्रशासनिक खर्चों का आधार वर्तमान में जे0आर0डी0ए0 के कार्यरत कर्मियों के वेतन मदों से संबंधित प्राक्कलित राशि की गणना MIN. VARIATION के आधार पर की गई है। इस प्रकार यह बजट प्राक्कलन REALISTIC प्रतीत होती है।

विचारोपरान्त पर्षद पर्षद द्वारा कैपिटल बजट के रूप में ₹ 190797.29 लाख तथा REVENUE BUDGET के रूप में ₹ 2149.85 कुल ₹ 192947.14 लाख बजट प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 विकास कार्यों के लिए पुनर्विनियोग की स्वीकृति :

SN	Particulars	Re-appropriation of Budget Required	Re-appropriated from allocation heads	Remarks
1	Capital– Supply and Installation of Single Phase Energy meter at Belgoria	1.23	Construction of 2000.00 units (G+3)	Due to variation in the revised estimates. (Work completed.)
2.	Revenue – 1. Office Expansion	5.00	Printing and Publication	Based on actual expenditure upto December 14 and anticipated upto March 15
	2. Construction of Office Chamber at JRDA	1.00	From Construction of Shed at JRDA	Due to variation in revised estimate (work completed)

3. **मानदेय में वृद्धि:-** जे0आर0डी0ए0 के अनुबंध कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की अनुशंसा के लिए गठित समिति को पुनः विचार करते हुए अपनी अनुशंसा देने के लिए परामर्शित किया गया।

4. **आपदा प्रबंधन :-** आपदा प्रबंधन योजना 10वीं HPCC की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार CMPDIL को करना है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। प्रभारी पदाधिकारी (R&R, ESTB. & L.A.) ने बताया कि CMPDIL से अनेकानेक सूचना की मांग की गई है जिससे संबंधित पत्र 21.03.2015 को ही प्राप्त हुआ है। विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निदेशित किया गया है कि यह योजना CMPDIL द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई।

22/4/15

उपायुक्त, धनबाद
-सह-
प्रबंध निदेशक,
जे0आर0डी0ए0, धनबाद।

प्रमण्डलीय आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,हजारीबाग -सह-
अध्यक्ष,
जे0आर0डी0ए0, धनबाद।